141

संख्या–81 /IX/2013

प्रेषक,

आर०सी० लोहनी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2013**

विषयः नैनीताल में हैलीपोर्ट निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नैनीताल में हैलीपोर्ट निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन ₹ 183.82 लाख के आगणन पर टी.ए.सी. (वित्त विभाग) द्वारा परीक्षणोपरान्त ₹ 142.65 लाख तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कार्यो की लागत ₹ 32.30 लाख इस प्रकार कुल ₹ 174.95 लाख (रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख पिच्चानब्बे हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

I– अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को भुगतान चैक/बैंकड्राफ्ट के द्वारा किया जायेगा।

II – उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है, कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाय।

III – आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृति नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई है, की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृति करालें।

IV– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है।

V– एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आंगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए।

VI– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लो. नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

VII– निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए।

VII– कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए, तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

VIII– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।

IX– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2006) दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक–5053–नागर विमानन पूंजीगत परिव्यय–02–विमान पत्तन–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–08–हैलीपैड एवं हैंगर का निर्माण कार्य–0024–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ.शा.पत्र सं.–1157(3)/XXVII(2)/2012 दिनांक 29 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आलटमैंट आई0डी0

भवदीय,

(आर0सी0 लोहनी)
अपर सचिव।

पृ0संख्या– 81 (1)/IX/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3– मण्डलायुक्त, कुमांयू नैनीताल।
4– जिलाधिकारी, नैनीताल।
5– परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम, देहरादून।
6– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2, वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0सी0 लोहनी)
अपर सचिव।